## *छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*
*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*<u>अपील प्रकरण कमांक 118/2007</u>*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री ललित चन्द्रनाहु,<br>स्टेशन मार्ग,<br>महासमुंद (छत्तीसगढ़) | - | *अपीलार्थी* |

**विरूद्ध**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *जन सूचना अधिकारी,*<br>कार्यालय तहसीलदार आरंग,<br>जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़) | - | *प्रति अपीलार्थी* |

### *//<u>आदेश</u>//*
### *(दिनांक 25 फरवरी, 2008)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ललित चन्द्रनाहु ने दिनांक 07.07.2006 को जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार को जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु निर्धारित समयावधि में सूचना नही मिलने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.09.2006 को अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का समय पर निराकरण नही होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 13.12.2006 को आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार को बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 15.05.2007 को प्रस्तुत किया गया । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में तहसीलदार ने लिखा है कि आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत नही कर आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत किया था और लिपिक ने आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत नही किया और उन्होंने जानबूझकर त्रुटि नही की तथा यह प्रकरण नायब तहसीलदार से संबंधित था, जिनसे जानकारी बुलाई जाकर बाद में जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदक को दिनांक 14.05.2007 को बुलाया गया, किन्तु वे उपस्थित नही हुये, इससे प्रतीत होता है कि वे जानकारी लेने के लिए इच्छूक नही है और वे इस चूक के लिए क्षमा माँगी है । प्रकरण के रिकार्ड से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 24.05.2007 को जानकारी दी गई थी, जिसमें दो पृष्ट अपठनीय बताये गये है और बाद में दिनांक 13.11.2007 को पूर्ण जानकारी प्रदान करा दी गई । तहसीलदार द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि जब वे जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय के लिए है तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था देखना चाहिए

और आवेदकों को समय पर जानकारी प्रदाय कराना चाहिए तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिम्मेदारी डालना भी उचित प्रतीत नही होता है, किन्तु फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए धारा-20(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आरंग पर दो हजार रूपये शास्ति विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए आरोपित की जाती है । साथ ही विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त